भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-155

उत्तर देने की तारीख-31/07/2023

स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान

***155. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:**
श्रीमती भावना गवली (पाटील):

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय (एसबीएसवी) अभियान के लिए निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत, विशेषकर वाशिम-यवतमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित देश में, विशेषकर विद्यालयों में बालिकाओं और महिलाओं के लिए, राज्यों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा निर्मित शौचालयों का ब्यौरा क्या है;
(ग) इस अभियान को कार्यान्वित करते समय सरकार को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड रहा है और उपर्युक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए, बाधाओं को दूर करने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या सरकार ने अभियान की प्रगति की समीक्षा की है और यदि हां, तो सभी विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक कुल कितना व्यय किया गया है;
(ड.) क्या सरकार ने निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निगरानी तन्त्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (च): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

******

स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री कृपाल बालाजी तुमाने और श्रीमती भावना गवली (पाटील) द्वारा दिनांक 31.07.2023 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 155 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): 15 अगस्त 2014 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने एक वर्ष के भीतर सभी सरकारी स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालय उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी कॉरपोरेट्स के साथ साझेदारी में स्वच्छ विद्यालय पहल (एसवीआई) शुरू की थी। इस पहल के तहत, शौचालयों की उपलब्धता की कमियों को दूर किया गया और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 2,61,400 सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 1.91 लाख लड़कियों के शौचालयों सहित 4,17,796 शौचालयों का निर्माण/पुनर्निर्माण पूरा किया गया।

(ख): स्वच्छ विद्यालय पहल के तहत सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में महाराष्ट्र (वाशिम-यवतमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र), सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कॉर्पोरेट्स द्वारा निर्मित/पुनर्निर्मित शौचालयों का विवरण इस प्रकार है:

	कुल संख्या			
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (एसएसए, आरएमएसए और एसबीकेटी फंड)	**केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा**	**निजी कॉर्पोरेट्स द्वारा**	**कुल**
अनुमोदित	2,72,694 (65.27%)	1,41,636 (33.90%)	3,466 (0.83%)	4,17,796 (100%)

(ग) से (च): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारें निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, **2009** के तहत उपयुक्त सरकारें हैं, और इन पर आरटीई अधिनियम, **2009** की अनुसूची में निर्धारित मानदंडों और संबंधित राज्य आरटीई नियमों के अनुसार स्कूलों में पीने के पानी और शौचालय सुविधाओं सहित स्कूल को बुनियादी ढांचा प्रदान करने की जिम्मेदारी और अधिदेश है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि उनके अधिकार क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र (निजी, सहायता प्राप्त स्कूल आदि) सहित सभी स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालयों; और सभी बच्चों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुविधाओं का प्रावधान होना चाहिए।

स्कूल के शौचालयों के रखरखाव की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की है। शिक्षा मंत्रालय ने समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से चालू हालत स्कूलों में निर्मित शौचालयों का रखरखाव और सुनिश्चित करने और गहन जागरूकता अभियान के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों के बीच व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शौचालयों का उचित उपयोग किया जाए और उन्हें साफ-सुथरा रखा जाए। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने दिनांक 17 नवंबर 2022 को सभी सरकारी स्कूलों में बिजली, शौचालय, पीने के पानी की सुविधा आदि जैसी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के प्रावधान और रखरखाव के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से फिर से अनुरोध किया।

मंत्रालय ने एसवीआई में भाग लेने वाले सीपीएसई से उनके द्वारा निर्मित/पुनर्निर्मित शौचालयों का कम से कम पांच वर्षों तक रखरखाव करने का अनुरोध किया था। इस मंत्रालय ने 3 नवंबर, 2020 को सीपीएसई के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से कम से कम अगले पांच वर्षों के लिए एसवीआई के तहत सीपीएसई द्वारा निर्मित/पुनर्निर्मित स्कूल शौचालयों का रखरखाव करने का अनुरोध किया था।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने **2018-19** से स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना - समग्र शिक्षा शुरू की है। समग्र शिक्षा के तहत**,** राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मौजूदा सरकारी स्कूलों को मजबूत करने और चिन्हित अंतरालों के आधार पर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार पेयजल और शौचालय सहित बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और वृद्धि के लिए सहायता दी जाती है। यह योजना सभी सरकारी स्कूलों के लिए छात्रों की संख्या के आधार पर प्रति वर्ष **1,00,000/-** रुपये तक के वार्षिक आवर्ती समग्र स्कूल अनुदान का भी प्रावधान करती है**,** जिसमें से कम से कम **10%** स्वच्छता एवं साफ-सफाई के लिए स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) संबंधित गतिविधियों पर खर्च किया जाना है।

2017-18 तक पूर्ववर्ती एसएसए और आरएमएसए और 2018-19 से प्रभावी समग्र शिक्षा के तहत, 4.63 लाख लड़कों के लिए शौचालय, 5.89 लाख लड़कियों के लिए अलग शौचालय और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए 1.64 लाख शौचालयों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसमें से जैसा कि राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने सूचित किया है कि 30.06.2023 तक 4.16 लाख लड़कों के शौचालयों, 5.47 लाख लड़कियों के अलग शौचालयों और 1.50 लाख सीडब्ल्यूएसएन के लिए शौचालयों का निर्माण पूरा किया गया है।

मंत्रालय ने बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक विशेष उपाय के रूप में, निर्माण और मरम्मत कार्यों सहित 4590.00 करोड़ रुपये के कुल बजट अनुमान के साथ देश भर के लगभग 1.20 लाख सरकारी स्कूलों में समग्र शिक्षा के तहत बुनियादी ढांचे के कायाकल्प पर एक परियोजना को मंजूरी दी है।

शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) और पंचायती राज मंत्रालय ने संयुक्त रूप से 16 सितंबर 2021 को राज्यों से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत धनराशि का उपयोग करने का अनुरोध किया है, जिसमें 14वें और 15वें वित्त आयोग के तहत स्कूल भवनों के रखरखाव, अन्य बातों के अलावा स्कूलों की नियमित दैनिक स्वच्छता, स्कूल के शौचालयों की सफाई और स्कूलों में हाथ धोने की उचित व्यवस्था आदि शामिल हैं।

शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) ने 4 मार्च 2022 के अ.शा. पत्र के माध्यम से पंचायती राज मंत्रालय से प्राथमिकता के आधार पर स्कूलों में बुनियादी ढांचा सुविधाओं के रखरखाव और निर्माण/मजबूतीकरण के लिए कुल ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) निधि का कम से कम 15% निर्धारित करने का अनुरोध किया है।

शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग), नीति आयोग, जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने संयुक्त रूप से 19 दिसंबर 2022 को राज्यों से सरकारी स्कूलों में बेहतर स्वच्छता सुविधाओं और सुरक्षित पेयजल के प्रावधान और समग्र स्वच्छता बनाए रखने सहित बुनियादी ढांचे में सुधार करने का अनुरोध किया है।

यूडाइज़+, 2021-22 के अनुसार, 95.5% सरकारी स्कूलों में लड़कों के लिए शौचालय हैं और 97.4% सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय हैं।

शिक्षा मंत्रालय इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए एक पोर्टल, जिसका नाम प्रबंध है, के माध्यम से समग्र शिक्षा योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाती है जबकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) पर परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा विचार और अनुमोदन किया जाता है। इसके अलावा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें करने, पत्र लिखने और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (क्षेत्रीय दौरे) के माध्यम से समीक्षा की जाती है।

*****